न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः— 16 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बंशीलाल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी खींचन तहसील फलौदी, जिला फलौदी		1. ईलियास पुत्र अखे मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खींचन, तहसील फलौदी 2. अब्दुल मलिक पुत्र आमदीन जाति मुसलमान निवासी बापिणी, तहसील बापिणी, जिला फलौदी 3. सरपंच ग्राम पंचायत खींचन, पंचायत समिति फलौदी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज 1994 विरूद्व तथाकथित फर्जी पट्टा दिनांक जों 30.12.1987 को सरपंच ग्राम पंचायत खींचन तहसील फलौदी द्वारा जारी होना बताया जा रहा है।

उपस्थित वकील —:

प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र भार्गव।

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर सेः— अधिवक्ता श्री कंवरलाल मेघवाल।

निर्णय दिनांकः— 31/12/2024

1. निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 प्रार्थी बंशीलाल की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत खींचन द्वारा जारी तथाकथित पट्टा संख्या 419 दिनांक 30.12.1987 के विरूद्व मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की है।

2. अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी की एक पट्टासुदा आवासीय जायगा ग्राम खींचन तहसील फलौदी में नागौर फलौदी मुख्य सड़क पर आई हुई है, जिसका पट्टा प्रार्थी के नाम का ग्राम पंचायत खींचन द्वारा पट्टा संख्या 4 दिनांक 05.06.1996 के रूप में जारी किया हुआ हैं जिस पर बाद आवंटन से प्रार्थी अपनी उक्त पट्टासूदा जायगा पर काबिज चला आ रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त जायगा से सम्बधित ग्राम पंचायत खींचन द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र भी जारी हो रखा है बाद प्रार्थी ने उक्त जायगा पर एक कच्च झोपड़ा बना रखा था। प्रार्थी दिनांक 11.03.2023 को उक्त पट्टासूदा जायगा पर अपना निर्माण कार्य करवाने के लिये निर्माण सामग्री डालने लगा तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की जायगा पर अपना मालिकाना अधिकारों का पट्टा होना बताया। अप्रार्थी संख्या 01 अपने नाम का ग्राम पंचायत खींचन से पट्टा संख्या 419 वर्ष 30.12.1987 को जारी होना बताया। अप्रार्थीगण के उक्त तथाकथित फर्जी पट्टे के जो आस पड़ौस दर्शाये गये है वह पड़ौस व माप मौके पर मेल नहीं खाते है। इसके अलावा प्रार्थी के कब्जा की पट्टासूदा भूमि व उसके आस पास के सभी

जिला कलक्टर
फलौदी

भूखण्ड 12 गुणा 24 फुट माप के है जो दिनांक 05.06.1996 को जारी हुए तब से उनके मालिक अपने–अपने जायगा पर काबिज है, जबकि अप्रार्थीगण अपना पट्टा 30 गुणा 45 फुट को होना बताते है। जिसे पर पट्टे की प्रति प्राप्त कर निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका आपके क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थी ने निगरानी याचिका न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये प्रार्थी श्री बंशीलाल के द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र भार्गव व अन्य द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री कंवरलाल मेघवाल ने वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, खींचन से मूल रेकर्ड तलब करने हेतु तहरीर जारी की गई। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जरिये शपथ पत्र बताया कि निगरानी याचिका में पट्टा संख्या 419 दिनांक 30.12.1987 का मूल रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टा से सम्बन्धित मूल रिकार्ड ग्राम पंचायत में नहीं होने के सम्बध में शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा मौके पर निर्माण कार्य निरन्तर कर मौका स्थिति बदलने का तर्क प्रस्तुत करते हुए अन्तरिम स्थगन जारी करने की प्रार्थना की गई। जिस पर गैर निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति की गई एवं उक्त प्रकरण में मियाद के प्रार्थना पत्र एवं अंतिम बहस सुनकर गुणावगुण पर निर्णित करने का निवेदन किया। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा बहस प्रार्थना पत्र हेतु समय चाहा। न्यायहित एवं वाद बहुलता, मुकदमें बाजी रोकने की दृष्टि पर बहस तक मौके की यथास्थिति बनायी रखी का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि तथाकथित फर्जी पट्टा जानबूझ कर निगरानीकर्ता को उसके कदिमी कब्जा की जायगा से षडयंत्रपूर्वक तरीके से बेदखल करने व उस पर अपना अवैध कब्जा करने की नीयत से तैयार किया है जबकि तथाकथित फर्जी पट्टा के नाप, पड़ौस व भौगोलिक स्थिति विवादित जायगा से बिल्कुल ही अलग है। इसके अलावा गैर निगरानीकर्ता द्वारा अपना पट्टा जो बताया गया है, उक्त पटटा दर्शित जायगा का माप भी अपीलांट की जायगा से मेल नहीं खाता है क्योंकि पंचायत द्वारा जारी किये गये नागौर फलौदी रोड़ पर एक क्रम में सभी पट्टे बमाप 12 गुणा 24 फुट है, जबकि रेस्पोडेन्टस अपना उक्त फर्जी पट्टा 30 गुणा 45 फुट का होना बताते है। गैर निगरानीकर्ता के तथाकथित फर्जी पट्टा के पूर्व दिशा में रास्ता दर्शाया गया है, जबकि मौके पर पूर्व दिशा में कोई रास्ता नहीं है तथा अन्य लोगो की पट्टासूदा दुकाने बनी हुई है। गैर निगरानी कर्ता के तथाकथित पट्टे के उत्तर दिशा में रास्ता दर्शाया गया है। निगरानीधीन पट्टे के संबध में ग्राम पंचायत खींचन में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा भी ऐसा कोई पट्टा पंचायत में उपलब्ध होना नहीं बताया गया है। निगरानीकर्ता के नाम से जारी पट्टा का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 11.04.1998 में जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टा साजसी एवं कूटरचित पट्टा है। गैर निगरानीकर्ता द्वारा उक्त कूटरचित दस्तावेज को निरस्त फरमाया जावें।

जिला कलक्टर
फलौदी

5. अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि निगरानी में उल्लेखित तथ्य गलत व आधारहीन है। प्रार्थी का ना तो कोई लोकल स्टेण्डा है तथा न ही प्रार्थी हितबद्व है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त जायगा का बेचान दिनांक 29.06.1999 को भंवरसिंह के पक्ष में कर दिया, इसलिए न तो निगरानीकर्ता का कोई लोकल स्टेण्डा है तथा न ही मौके पर कभी प्रार्थी का कब्जा रहा है। प्रार्थी का उल्लेखित जायगा पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही मौके पर उक्त जायगा का उपयोग उपभोग किया है। मौके पर उल्लेखित अनुसार 12 गुणा 24 के साइज का कोई भूखण्ड मौके पर है। ग्राम पंचायत खींचन तहसील फलौदी में मुख्य सड़क नागौर सड़क पर व बाप जाने वाली मुख्य सड़क पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत खींचन द्वारा पट्टा संख्या 419 दिनांक 30.12.1987 को जारी किया गया है तथा पट्टा हदूदों व माप की जायगा पर अप्रार्थी संख्या 01 का स्वामीत्व रहा है। उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा एक विक्रय विलेख दिनांक 07.07.2004 को बालकिशन पुत्र नरसिंगदास जाति सुथार व मदनलाल पुत्र लूणकरण जाति सोनी निवासी फलौदी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया गया। उसके बाद बालकिशन व मदनलाल द्वारा दिनांक 19.10.2006 को वसीर खां पुत्र हाजी अब्दुल करीम को विक्रय कर कब्जा व स्वत्व हस्तान्तरित किया तथा वसीर खां द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 अब्दुल मालिक पुत्र आमदीन, जाति मुसलमान, निवासी बापिणी, तहसील फलौदी को दिनांक 31.08.2021 को विक्रय स्वत्व व कब्जा हस्तान्तरित किया। इस प्रकार उक्त जायगा पर निरंतर बहैसियत स्वामी उल्लेखित अनुसार मालिक का रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 ने जब निर्माण कार्य शुरू किया तब प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्व माननीय सिविल न्यायालय फलौदी में एक दिवानी वाद प्रस्तुत किया। दिवानी विविध वाद संख्या 17/2023 बंशीलाल बनाम इलियास में सिविल न्यायालय फलौदी में दिनांक 12.05.2023 को उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया। जिसके निर्णय के विरूद्व अपील 8/2023 माननीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश फलौदी में पेश की गई, जिसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2023 को अस्वीकार कर खारीज की गई। उसके उपरान्त निगरानीकर्ता ने उक्त निर्णय की अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निगरानीकर्ता की उक्त अपील दिनांक 17.10.2023 को खारिज की गई। प्रार्थी द्वारा बलवन्त मार्केट का नक्शा सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षरशुदा नहीं है। निगरानीकर्ता जिस पट्टे का उल्लेख निगरानी में कर रहा है। वह पट्टा आज तो फौर्स में है और न ही निगरानीकर्ता का कोई लोकल स्टेण्डा है। इसलिए प्रस्तुत निगरानी आधारहीन व गलत तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण स्वयं काबिल निरस्ती के है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका को खारिज फरमाया जावें।

जिला कलक्टर
फलौदी

6. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव ग्राम विकास अधिकारी खींचन के द्वारा पट्टा के सम्बध में शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया।
7. मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र एवं गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में निगरानीकर्ता द्वारा यह प्रकट किया गया है कि ग्राम पंचायत खींचन द्वारा जारी किये गये तथाकथित पट्टा संख्या 419 की जानकारी 11.03.2023 को हुई। उसके

पश्चात त्वरित रूप से उसके बिना देरी किये दिनांक 21.03.2023 को निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। इसके विपरित अप्रार्थी का जवाब है कि निगरानीकर्ता को उक्त पट्टे की जानकारी 1999 में हो गई थी और जानकारी होने पर उसके द्वारा दिनांक 19.06.1999 को प्रार्थी द्वारा भंवरसिंह के पक्ष में स्वयं की पट्टाशुदा भूमि का बेचान कर दिया था। प्रार्थी का विवादित भूमि का कभी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि अप्रार्थी का सदैव कब्जा रहा है। प्रार्थी द्वारा देरी का कारण प्रदर्शित नहीं किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। बहस के दौरान निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 419 से सम्बन्धित कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस बाबत ग्राम विकास अधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 419 में पूर्व दिशा में रास्ता बताया गया है किन्तु मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार रास्ता उपलब्ध नहीं है। अभिभाषक का तर्क है कि रिवीजन प्रस्तुत किये जाने के लिए विधि में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है एवं फर्जी एवं अवैध पट्टे को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का अभिमत है कि राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पंचायतीराज के निर्णय आदेश या कार्यवाहीं के सम्बन्ध में उसके सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य पारित किये जाने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार की उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को प्रत्यायोजित की गई है। उक्त धारा के तहत समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में यह अवधारित किया गया है कि ऐसे मामलों में युक्तियुक्त अवधि में कार्यवाही की जानी चाहिए। युक्तियुक्त अवधि मामले की परिस्थितियों एवं तथ्यों पर निर्भर करती है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय यह उचित समझता है कि मामलों के तथ्यों का परीक्षण कर गुणावगुण पर प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिए। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी पर गुणावगुण पर विचार किया जाना निर्धारित किया जाता है।

8. प्रकरण में निगरानी के आधार में रूप में निगरानीकर्ता द्वारा पहला आधार यह है कि अंकित किया है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 419 के माप, पड़ौस एवं भौगोलिक स्थिति विवादित सम्पति से मेल नहीं खाती है। जबकि निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 14 दिनांक 05.10.1996 में अंकित माप व पड़ौस मौके से मेल खाते है और इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत खींचन द्वारा दिनांक 11.11.1998 को प्रार्थी के पक्ष में स्वामीत्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके विपरित गैर निगरानीकर्ता का जवाब है कि निगरानीकर्ता का निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कोई LOCUS STANDI नहीं है। चूँकि उसके द्वारा पट्टा संख्या 14 निर्णय दिनांक 05.10.1996 में वर्णित भूमि का बेचान 11.04.1998 को भंवरसिंह के पक्ष में कर दिया गया था। मौके पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है। अतः धारा 97 के तहत हितबद्व व्यक्ति ही निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। जहां तक स्वामीत्व प्रमाण पत्र का प्रश्न है गैर निगरानीकर्ता इलियास के नाम से दिनांक 18.06.1997 को स्वामीत्व प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। इस प्रकार निगरानीकर्ता का LOCUS STANDI नहीं होने पर निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी का दूसरा आधार यह अंकित किया है कि ग्राम पंचायत में प्रश्नगत पट्टा संख्या 419 से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अतः यह कूट रचित पट्टा है। निगरानीकर्ता द्वारा तीसरा आधार प्रश्नगत पट्टे की शर्त संख्या 3 में वर्णित इस बिन्दु को आधार बनाया गया है कि पट्टा धारक किसी को भी

जिला कलक्टर
फलौदी

पट्टा हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा, जबकि उक्त भूखण्ड तीन बार विक्रय किया जा चुका है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा मुख्यत तीन आधार अंकित किये है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधान का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि किसी पंचायतराज संस्था या उसकी स्थायी समिति या उपसमिति की किसी कार्यवाही या निर्णय या आज्ञा के विरूद्व पुनरीक्षण किया जा सकेगा। ऐसी कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में या उसके दिये गये निर्णय या आज्ञा के सही होने या उसकी वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में पुनरीक्षण किये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 97 में वर्णित उक्त आधारो में कोई आधार प्रदर्शित नहीं किया है। पुनरीक्षण के तहत अधिनियम में उक्त प्रावधान के सम्बन्ध में 04 बिन्दु महत्वपूर्ण है:–

1. किसे चुनौती दी गई है।
2. किस तथ्य या अभिलेख का परीक्षण किया जाना है।
3. पुनरीक्षण में दी गई चुनौती का क्षेत्र (SCOPE) क्या है।
4. पुनरीक्षण में किस प्रकृति के आदेश जारी किये जा सकते है।

प्रश्नगत प्रकरण में निगरानीकर्ता प्रश्नगत पट्टा संख्या 419 को बनावटी, फर्जी व कूटरचित मानता है। कूटरचित या फर्जी दस्तावेज को कानूनन शून्य व बातिल घोषित किये जाने के लिए विधि में पृथक से प्रावधान है। इसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय को अधिकारिता होती है। धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत किसी पंचायत संस्था की किसी भी कार्यवाही या निर्णय या आज्ञा के विरूद्व ही पुनरीक्षण किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता जब स्वयं ही प्रश्नगत पट्टे को बनावटी व फर्जी माना है। निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत खींचन में ऐसे किसी आदेश, कार्यवाही या निर्णय को चुनौती नहीं दी है। जिसका अभिलेख मंगा कर परीक्षण इस उद्वेश्य से किया जा सके कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही नियमित है और उसके द्वारा दिया गया आदेश शुद्व, वैध व औचित्य पूर्ण है। ऐसी स्थिति में जब ग्राम पंचायत खींचन द्वारा की गई किसी कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गई है तो पुनरीक्षण की शक्तियों के तहत प्रकरण नहीं बनता है। निगरानीकर्ता द्वारा न तो ग्राम पंचायत की किसी कार्यवाही, आदेश का विवरण दिया गया है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि किस आदेश या प्रस्ताव की विधिकता, नियमितता या औचित्यता का परीक्षण किया जाना है।

9. जहां तक निगरानीकर्ता के LOCUS STANDI का प्रश्न है, प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं के पक्ष में जारी विक्रय विलेख पट्टा संख्या 14, ग्राम पंचायत खींचन द्वारा जारी स्वामीत्व प्रमाण पत्र दिनांक 11.11.1998, नक्शा फोटो प्रति बलवन्त मार्केट व निशुल्क आवंटन रजिस्टर की फोटो प्रति आदि प्रस्तुत की गई है। इसके विपरित गैर निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश फलौदी के द्वारा प्रकरण संख्या 17/2023 निर्णय दिनांक 12.05.2023, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश दिवानी अपील संख्या 08/2023 निर्णय दिनांक 03.06.2023, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर S.B. Civil Writ Pitition No. 8884/2023 निर्णय दिनांक 17.10.2023 , प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका बंशीलाल बनाम इलियास न्यायालय सिविल न्यायालय फलौदी दिनांक 04.10.2024 आदि की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत खीचन द्वारा जारी स्वामीत्व प्रमाण पत्र क्रमांक 737 दिनांक 18.06.1997 विक्रय विलेख दिनांक 07.07.2004 (इलियास बहक बालकिशन सुथार व मदनलाल सोनी), विक्रय विलेख दिनांक 19.10.

जिला कलक्टर
फलौदी

2006 (बालकिशन व मदनलाल बहक बशीर खां), विक्रय विलेख दिनांक 31.08.2021 (बशीर खां बहक अब्दुल मालिक) एवं विद्युत उपभोग विपत्र बहक बशीर मोहम्मद आदि की प्रति प्रस्तुत की है। अभिलेख के सावधानीपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा पट्टा संख्या 14 दिनांक 05.10.1996 में वर्णित भूखण्ड दिनांक 29.06.1999 भंवरसिंह पुत्र केवलसिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचान किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है किन्तु निगरानीकर्ता द्वारा आपसी सहमति, इकरारनामा दिनांक 29.08.2019 की प्रति प्रस्तुत कर तर्क किया है कि क्रेता भंवरसिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का कब्जा वापस निगरानीकर्ता को सुपुर्द कर दिया है। उक्त दस्तावेज नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया है किन्तु इसे उपपंजीयक के यहां पंजीकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार विधिक तौर पर पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 29.06.1999 समाप्त नहीं माना जा सकता। निगरानीकर्ता द्वारा क्रेता भंवरसिंह को प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया है। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश फलौदी में आदेश दिनांक 12.05.2023, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फलौदी के आदेश दिनांक 03.06.2023, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश निर्णय दिनांक 17.10.2023 व अन्य दस्तावेज के सावधानीपूर्वक अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी निगरानीकर्ता उसके भूखण्ड संख्या 14 को बलवन्त मार्केट का भूखण्ड संख्या 01 मानता है जबकि उसके स्वयं के द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति नक्शा बलवन्त मार्केट में भूखण्ड संख्या 01 का माप प्रस्तुत पट्टा संख्या 14 से मेल नहीं खाता है। नक्शे के अनुसार उक्त भूखण्ड के तिकोना प्रदर्शित होता है। यह भी स्पष्ट है कि सिविल वाद में वादी बंशीलाल द्वारा अभिवचनों में यह कथन नहीं किया है कि उक्त सम्पति पर पूर्व में कोई निर्माण उसके द्वारा किया गया था। इसके विपरित अप्रार्थी संख्या 02 अब्दुल मलिक द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड पर पूर्व में टायर पंचर की दुकान होना व विद्युत कनेक्शन होना प्रकट किया है। उक्त आधार पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश फलौदी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश फलौदी के आदेश के विरूद्व न्यायाधीश अपर जिला फलौदी द्वारा भी अपील वादी बंशीलाल के विरूद्व दिनांक 03.06.2023 निर्णित की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी एस बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8884/2023 निगरानीकर्ता (वादी) के विरूद्व दिनांक 17.10.2023 को निर्णित की गई है। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 12 में कमिश्नर रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शें एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति फलौदी व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खींचन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत Status रिपोर्ट क विवरण अंकित है। उक्त रिपोर्ट में गैर निगरानीकर्ता अब्दुलमलिक द्वारा विवादित भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाया जाना अंकित किया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट कि निगरानीकर्ता बंशीलाल का Locus Standi होना तथ्यों से सिद्व नहीं है। माननी उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में यह अवलोकित (Observe) किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे की भूमि का विवरण मौका कमिश्नर रिपोर्ट से मेल खाते है व प्र के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार निग प्रार्थना पत्र इस स्तर पर स्वीकार करने योग्य नहीं है।

जिला कलक्टर फलौदी

10. प्रकरण में विवादित सम्पति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17 2023 को निर्णित S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 8884/2023 में माननीय उच्च न्याय द्वारा राज्य सरकार से विवादित सम्पति की वास्तविक स्थिति के संबध में रिपोर्ट की गई थी। पंचायत समिति फलौदी के सहायक विकास अधिकारी श्री ओमप्र

आसिया व ग्राम विकास अधिकारी विजयपाल बाना द्वारा दिनांक 19.07.2023 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के रिकार्ड में मुकदमें में वर्णित इलियास पुत्र अखे मोहम्मद के पक्ष में जारी पटटा संख्या 419 दिनांक 30.12.1987 व बंशीलाल पुत्र के पक्ष में जारी पटटा संख्या 14 दिनांक 05.10.1996 के संबध में कोई अभिलेख नहीं पाया गया। उक्त दोनो पट्टा दस्तावेज का अस्तित्व सन्दिग्ध है। यह भी विचारणीय है कि उक्त पट्टा संख्या 419 दिनांक 30.12.1987 एवं पटटा संख्या 14 विक्रय दिनांक 05.10.1996 में शर्त संख्या 03 पर सम्बन्धित आवंटन भूमि के स्थानान्तरण का कोई अधिकार आंवटन को नहीं होने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार शर्त संख्या 05 में आवंटी भूमि को आवासीय शर्त में उपभोग में लिये जाने का अंकन है। उक्त शर्त के बावजूद दोनों मामलों में गैर आवासीय प्रयोजन में उपयोग व भूखण्ड को अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरण प्रतीत होता है। शर्तो के उल्लघंन पर भूखण्ड धारी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के अधिकार पंचायतराज संस्था एवं उच्चतर पंचायतीराज संस्था को है। ऐसी स्थिति में न्यायालय न्यायहित में यह उचित समझता है कि प्रकरण की गहनता से जांच कराई जावे। अतः पंचायत समिति फलौदी के विकास अधिकारी को निर्देश दिये जाते है। कि उक्त दोनो पट्टा प्रकरण एवं ऐसे ही अन्य मामले, यदि कोई हो, के संबध में सम्बधित ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण अभिलेख का स्वयं की निगरानी में टीम बनाई जाकर गहन जांच 02 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसी जांच रिपोर्ट के अनुसार यदि ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्व, अनियमित, अनुचित व अविधि पूर्ण कार्यवाही की गई है तो उसे निरस्त किये जाने के लिए पुनरीक्षण याचिका तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावे। यदि जांच के निष्कर्ष स्वरूप पट्टे बनावटी, फर्जी एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये हुए पाये जावे तो ऐसी स्थिति में संबधित व्यक्तियों के विरूद्व अपराधिक मुकदमें जारी किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

11. प्रकरण में विकास अधिकारी फलौदी को निर्देश जारी किये जावे एवं दो माह पश्चात विकास अधिकारी की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 31/12/2024 सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
फलौदी